>

Title: Need to provide reservation to various tribes of Uttar Pradesh in Panchayats, Legislative Assembly and Lok Sabha.

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पहली बार इस सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सदन के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं सरकार के सामने एक बहुत दुखद समस्या कहने जा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायत, विधान सभा और लोक सभा में जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, मुझे आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना है कि वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य की गोंड़, खरवार, चेरो, बैगा, भूईयां, पनिका, पठारी, अगरिया, परहिंया और संहरिया आदि लगभग दस जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 332 के अनुसार इन्हें पंचायत, विधानसभा एवं लोक सभा नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सीटों के आरक्षण को आधार बनाया गया, जब कि वर्ष 2002 में दस जातियों को जनजाति में शामिल किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनजातियों को कोटेदार का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव वर्ष 2005 में हुए थे, उसमें भी इन जनजातियों को आरक्षण नहीं मिला। स्वास्थ्य मित्र, पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र, सफाई कर्मी आदि में आदिवासियों का एक भी अभ्यार्थी नहीं लिया जा रहा है। वर्ष 2010 में पंचायतों का चुनाव होना है, अगर पहले आरक्षण का प्रावधान हो जाए तो आदिवासी चुनाव लड़ सकते हैं। बैकलॉग भर्ती में भी जनजातियों की भागीदारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालय में जनजाति के बच्चों को वर्तमान में नहीं लिया जा रहा है। उन्हें वजीफा नहीं दिया जा रहा है। लोक सेवा भर्ती हेतु आरक्षण दो प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनजातियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश की जनजातियों को विभिन्न निकायों, विधानसभा एवं लोक सभा में आरक्षण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि जनजातियों को सम्मान एवं अधिकार मिल सके।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक और तकलीफ के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारी जो दस आदिवासी जातियां हैं, वे वोट देती हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मैं यहां पहली बार आया हूं जैसे मैं इस खम्भे की ओट में हूं, वैसे ही हमारे समाज के लोग सरकार की सुविधाओं के ओट में हैं। मैं चाहूंगा कि इन्हें आरक्षण का लाभ तत्काल आने वाले पंचायत चुनाव में दिलाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।